पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–7] रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 जून, 2006 ई0 (ज्येष्ठ 27, 1928 शक सम्वत्) [संख्या–24

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	209–220	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	81–82	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तरांचल	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तरांचल	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	—	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

वित्त विभाग

अधिसूचना

05 जून, 2006 ई0

संख्या 560/XXVII (8)/वाणिज्यकर (वैट)/2006–चूंकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1, वर्ष 1904) (यथा उत्तरांचल राज्य में प्रवृत्त) की धारा 21 के साथ पठित उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27, वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत पूर्व में जारी अधिसूचना सं0 04/XXVII (8)/वाणिज्यकर (वैट)/2006, दिनांक 21–01–2006 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

अनुसूची–II (ख) के क्रमांक 128 पर वर्तमान प्रविष्टि, अर्थात्, "हस्तनिर्मित तार जाली" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी:–

"ताना बाना से निर्मित वायर मैश"

आज्ञा से,

इन्दु कुमार पांडे,
प्रमुख सचिव, वित्त।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification **no. 560/XXVII (8)/ Vanijyakar (VAT)/2006**, dated June 05, 2006 for general information :

NOTIFICATION

June 05, 2006

No. 560/XXVII (8)/Vanijyakar (VAT)/2006--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred under sub-section 4 of section 4 of Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttaranchal), the Governor is pleased to allow to make with effect from the date of publication of this notification the following amendment in earlier notification no. 04/XXVII(8)/ Vanijyakar (VAT)/2006, dated January 21, 2006 issued under Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005:–

In Schedule II (B), for the present entry at serial no. 128 *i.e.* "Hand made wire-mesh" the following entry shall be substituted:--

"Wire-mesh manufactured through warp and weft (Tana Bana)"

By Order,

INDU KUMAR PANDE,
Principal Secretary, Finance.

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

07 मार्च, 2006 ई0

संख्या 385/I/2006–02 (2)/10/02–विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36, सन् 2003) की धारा 180 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) और (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और विद्यमान समस्त नियमों का अधिक्रमण करके श्री राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2006

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2006 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "आयोग" से उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है;

(घ) "सदस्य" से आयोग के किसी सदस्य अभिप्रेत है;

(ङ) "चयन समिति" से अधिनियम की धारा 85 के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग कर उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग के सदस्यों के चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित चयन समिति अभिप्रेत है;

(च) "संयोजक" से ऊर्जा विभाग में राज्य सरकार का प्रभारी सचिव अभिप्रेत है; और

(छ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम में है।

3. अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन की रीति :

अधिनियम की धारा 85 के अधीन रहते हुए अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए चयन निम्न रीति से किया जायेगा:–

(क) आयोग का सचिव, मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाये जाने के कारण हुई रिक्ति की दशा में यथाशीघ्र तथा अधिवर्षता या किसी सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति की दशा में सात मास पूर्व राज्य सरकार को लिखित रूप में अधिसूचित करेगा;

(ख) राज्य सरकार उपनियम (1) या अन्यथा रिक्ति की सूचना प्राप्त होने पर रिक्ति भरने के लिए अधिनियम की धारा 85 में विहित अवधि के भीतर चयन समिति को सन्दर्भित करेगी;

(ग) अध्यक्ष और किसी सदस्य के पद पर उपयुक्त व्यक्ति का चयन करने के प्रयोजन के लिये संयोजक विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के विभागों, सार्वजनिक और निजी उपक्रमों, औद्योगिक संगठनों और विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण और प्रदाय में लगे हुए अन्य संगठनों, वित्तीय संस्थाओं, शैक्षिक संस्थानों और उच्च न्यायालय से राजपत्र तथा समाचार–पत्रों में रिक्ति अधिसूचित करके पात्र व्यक्तियों से सीधे आवेदन–पत्र आमंत्रित करेगा। पात्र व्यक्ति अपने आवेदन–पत्र सीधे या अधिकारी या प्राधिकारी जिसके अधीन वह तत्समय कार्य कर रहा है, के माध्यम से भेज सकता है;

(घ) संयोजक, सम्यक् रूप से आवेदित अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा और सम्बन्धित अभ्यर्थियों के समस्त सुसंगत अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष रखेगा;

(ङ) अभ्यर्थियों के चयन के लिए मापदण्ड ऐसे होंगे जैसे समय–समय पर चयन समिति द्वारा अवधारित किये जायें;

(च) किसी समुचित अभ्यर्थी का चयन अध्यक्ष और किसी सदस्य के पद पर बहुमत द्वारा विनिश्चित किया जायेगा;

(छ) चयन समिति, अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (4) तथा उपधारा (5) में उपबन्धित प्राविधानों के अध्यधीन गुणावगुण के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार को अग्रेषित करेगी;

(ज) राज्य सरकार चयन सूची के प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर संस्तुत अभ्यर्थियों में से गुणावगुण के अनुसार अवसर देते हुए संस्तुत अभ्यर्थी की अध्यक्ष और सदस्य पद पर नियुक्ति–पत्र निर्गत कर राजपत्र में अधिसूचित करेगी।

4. अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति :

अधिनियम की धारा 85 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जब कभी अध्यक्ष का पद रिक्त हो, तो राज्य सरकार किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के पद पर अस्थायी रूप से पदाभिहित कर सकेगी तथा रिक्त स्थानों के लिए यथाशीघ्र चयन तथा नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करेगी।

5. पद एवं गोपनीयता की शपथ :

आयोग का अध्यक्ष और सदस्य अपना पदभार ग्रहण करने के पूर्व राज्यपाल या उनकी ओर से नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेगा। पद एवं गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित प्ररूप में होगी :–

गोपनीयता की शपथ

मैं, अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाय जब कि ऐसे अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।

संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ और प्रतिज्ञान

मैं, अमुक जो उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष/सदस्य नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा तथा मैं सम्यक् प्रकार से श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और देश की विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।

6. वेतन :

अध्यक्ष प्रतिमास छब्बीस हजार रुपये तथा सदस्य प्रतिमाह पच्चीस हजार रुपये वेतन प्राप्त करेंगे :

परन्तु यदि अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है तो वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अन्तिम रूप से आहरित वेतन से न्यून वेतन प्राप्त नहीं करेगा:

परन्तु यह और कि यदि कोई पेन्शनभोगी व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसके वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त की जाने वाली राशिकरण के पूर्व पेंशन की कुल रकम घटा दी जाएगी।

7. मंहगाई भत्ता और नगर प्रतिकरात्मक भत्ता :

अध्यक्ष और सदस्य केन्द्र सरकार के समूह 'क' के अधिकारी को अनुमन्य दरों पर अपने वेतन के समतुल्य मंहगाई भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता और पर्वतीय भत्ता प्राप्त करेगा।

8. आवास :

(क) अध्यक्ष और सदस्य राज्य सरकार के सचिव की श्रेणी के अधिकारी को अनुमन्य किराया मुक्त सरकारी आवास पाने का पात्र होगा।

(ख) जब कभी अध्यक्ष और सदस्य को खण्ड (क) में निर्दिष्ट आवास की व्यवस्था न की जाय या वह स्वयं उसका लाभ नहीं उठाता है तो उसे राज्य सरकार के सचिव को प्रतिमास अनुमन्य मकान किराया भत्ते के रूप में संदाय किया जायेगा।

(ग) जहां अध्यक्ष या कोई सदस्य अनुज्ञेय अवधि के उपरान्त किसी सरकारी आवास का अध्यासन करता है, वहां वह यथास्थिति, लाईसेन्स फीस या शास्तिक किराये का देनदार होगा और प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अनुसार उसे बेदखल किया जा सकेगा।

9. वाहन :

अध्यक्ष या सदस्य इस निमित्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार सरकारी और निजी प्रयोजन की यात्राओं के लिये स्टाफ कार की सुविधा का पात्र होगा।

10. यात्रा भत्ता :

(क) अध्यक्ष और सदस्य भारत के भीतर दौरा करते समय या स्थानान्तरण पर (जिसके अन्तर्गत आयोग में कार्यभार ग्रहण करने के लिए की गई यात्रा और आयोग में पदावधि के पर्यवसान पर अपने गृह नगर को की गई यात्रा सम्मिलित है) यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और निजी सामान के परिवहन के लिए अध्यक्ष/सदस्य जो मा0 उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हैं/रहे हैं, के लिये उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1956 तथा शेष के लिये उसी मापदण्ड और उन्हीं दरों के लिये पात्र होंगे जो समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारी पर लागू होती है।

(ख) अध्यक्ष या सदस्य द्वारा केवल शासकीय प्रयोजन हेतु ही किये जाने वाले विदेशी दौरों के लिए राज्यपाल या पूर्व अनुमोदन और विदेश मंत्रालय से राजनीतिक दृष्टिकोण से और विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अधीन विदेशी मेहमाननवाज़ी स्वीकार करने के लिए, यदि कोई हो, गृह मंत्रालय से अनापत्ति अपेक्षित होगी:

परन्तु विदेशी दौरे की अवधि के दौरान दैनिक भत्ता और होटल आवास व्यवस्था, ऐसे आदेशों के जो राज्य सरकार के समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले समूह 'क' के अधिकारी पर लागू होती है, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये आर्थिक अनुदेशों या अन्य अनुदेशों के अनुरूप होंगे।

11. सत्कार भत्ता :

अध्यक्ष और सदस्य दो हजार पांच सौ रुपये प्रतिमाह सत्कार भत्ता पाने के पात्र होंगे।

12. अवकाश :

(1) अध्यक्ष और सदस्य निम्न प्रकार के अवकाशों के हकदार होंगे:-

(क) प्रत्येक छः मास की पूर्ण सेवा के लिये पन्द्रह दिन का उपार्जित अवकाश;

(ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के सम्बन्ध में बीस दिन का चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर या निजी कार्यकलाप पर अर्द्ध-वेतन और अर्द्ध-वेतन अवकाश के लिये अवकाश वेतन उपार्जित अवकाश के दौरान अनुमन्य अवकाश के आधे के बराबर होगा;

(ग) अध्यक्ष/सदस्य के विवेक पर अर्द्ध-वेतन अवकाश को पूर्ण वेतन अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है परन्तु यह चिकित्सीय आधार पर लिया गया हो और सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र द्वारा समर्थित हो;

(घ) किसी एक पदावधि में वेतन और भत्तों के बिना एक सौ अस्सी दिन की अधिकतम अवधि तक का असाधारण अवकाश।

(2) आयोग में कार्यकाल की समाप्ति पर अध्यक्ष या सदस्य अपने खाते में जमा उपार्जित अवकाश के सम्बन्ध में अवकाश वेतन के बराबर नगद प्राप्त करने का हकदार होगा बशर्ते कि इस उपनियम के अधीन नकदीकरण करायी गयी छुट्टी की मात्रा और कोई नकदीकरण अवकाश, जिसके लिये वह आयोग में अपनी नियुक्ति से पूर्व पात्र था, भी है, मिलाकर तीन सौ दिन से अधिक नहीं होगी।

(3) सदस्यों का अवकाश स्वीकृत करने का सक्षम प्राधिकारी अध्यक्ष होगा और अध्यक्ष का अवकाश स्वीकृत करने के सक्षम प्राधिकारी राज्यपाल होंगे।

13. छुट्टी यात्रा रियायत :

अध्यक्ष और सदस्य समतुल्य वेतनमान प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' के अधिकारियों को अनुमन्य सुविधानुसार ही छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त करने के पात्र होंगे :

परन्तु यदि अध्यक्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है तो वह उसी वेतन पर और उन्हीं दरों पर जो, यथास्थिति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुमन्य होती हैं, छुट्टी यात्रा रियायत पाने का पात्र होगा।

14. चिकित्सीय उपचार :

अध्यक्ष और सदस्य ऐसे चिकित्सीय प्रतिपूर्ति और सुविधा के पात्र होंगे जो उ0प्र0 चिकित्सा परिचर नियमावली, 1946 एवं राज्य सरकार द्वारा इस हेतु समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार अनुमन्य हों।

15. टेलीफोन सुविधा :

अध्यक्ष और सदस्य ऐसी टेलीफोन सुविधा के लिए पात्र होंगे जो समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारी को अनुज्ञेय है।

16. भविष्य निधि :

अध्यक्ष और सदस्य अंशदायी भविष्य निधि नियम, 1962 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 के उपबंधों के अधीन अंशदान करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। आयोग में की गई सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन और उपदान अनुमन्य नहीं होंगे।

17. सेवा की अन्य शर्तें :

अध्यक्ष और सदस्य की सेवा की अन्य शर्तें जिनके सम्बन्ध में इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, वही होंगी जो समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारी को अनुमन्य हैं।

18. नियम शिथिल करने की शक्ति :

जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि इस नियमावली के किन्हीं नियमों के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई है, वहां वह आदेश द्वारा ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत व साम्यपूर्ण तरीके से कार्यवाही के लिये आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं को शिथिल कर सकती है।

19. व्यावृत्ति :

इस नियमावली के प्रवृत्त होने से पूर्व अध्यक्ष के पद पर कार्यरत पदाधिकारी के सम्बन्ध में उनके सेवाकाल तक पूर्व में प्रवृत्त नियम ही प्रभावी रहेंगे।

आज्ञा से,

एन0 रवि शंकर,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. **385/I/2006-02(2)/10/02**, dated March 07, 2006 :

NOTIFICATION

March 07, 2006

No. 385/I/2006-02(2)/10/02--In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 180 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and in supersession of all existing rules, the State Government hereby makes the following rules, namely :--

THE UTTARANCHAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (SALARY, ALLOWANCES AND OTHER CONDITIONS OF SERVICE OF CHAIRPERSON AND MEMBERS) RULES, 2006

1. Short title and Commencement :

(1) These rules may be called the Uttaranchal Electricity Regulatory Commission (Salary, Allowances and other Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2006.

(2) They shall come into force immediately.

2. Definitions :

In these rules, unless the context otherwise requires--

(a) "Act" means the Electricity Act, 2003;

(b) "Chairperson" means Chairperson of the Commission;

(c) "Commission" means Uttaranchal Electricity Regulatory Commission;

(d) "Member" means any Member of the Commission;

(e) "Selection Committee" means the Selection Committee constituted for the selection of the Members of the Uttaranchal Electricity Regulatory Commission by the State Government in exercise of the powers under section 85 of the Act;

(f) "Convenor" means Secretary-in-charge of the State Government in the Energy Department; and

(g) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. Procedure of Selection of Members :

Subject to the provisions of section 85 of the Act, the procedure for selection of the Chairperson/Members shall be as follows:--

(a) The Secretary of the Commission shall notify the State Government in writing about the vacancy, immediately in case of death, resignation or removal and seven months before in case of retirement or end of tenure of any Member;

(b) On getting information either according to sub-rule (1) or otherwise the State Government shall, to fill the vacancy, refer it to the Selection Committee within the period as provided under section 85 of the Act;

(c) To select an appropriate person for the position of Chairperson and any Member, the Convenor shall send requisition to different State Governments, Departments of Central Government, Public and Private Undertakings, Industrial Associations, Institution engaged in Electricity Generation, Transmission, Distribution and Supply, Financial Institution, Educational Institutions and High Courts and shall invite application from eligible candidates directly by notifying the vacancy through Government Gazette and News Papers. The eligible candidate may send his/her application directly or through the officer or authority under which he/she in working at that time;

(d) The Convenor shall prepare a list of the candidates who have applied properly and present it before the Selection Committee alongwith corresponding documents of the concerned candidates;

(e) The Standard for selection of the candidates shall be such as the Selection Committee shall decide from time to time;

(f) Selection of an appropriate candidate for the posisition of Chairperson and any Member shall be decided on majority basis;

(g) The Selection Committee, subject to the provisions under sub-section (4) and sub-section (5) of the section 85 of the Act, shall prepare a list of recommended candidates on the basis of merit and shall forward it to the State Government;

(h) The State Government shall release appointment letter, for the position of Chairperson and any Member to the recommended candidate on giving opportunity as per merit order recommended by the Selection Committee within thiry days and notify it in the Government Gazette.

4. Appointment of Chairperson for the time being :

Subject to the provisions of section 85 of the Act, the State Government may designate any one of the Members as Chairperson for the time being whenever the position of Chairperson is vacant and shall immediately complete the process of selection and appointment for the vacant position (s).

5. Oath of Office and Secrecy :

The Chairperson and Members of the Commission prior to taking charge shall subscribe to an oath of office and secrecy before the Governor or a person appointed on his befalf. The oath of office and secrecy shall be administered in the following form:--

Oath of Secrecy

I, so and so do swear in the name of God and solemnly affirm that I shall not directly or indirectly, communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chairperson/Member of the Uttaranchal Electricity Regulatory Commission except as may be required for the due discharge of my duties as such Chairperson/Member.

Oath and Affirmation of Allegiance to Constitution

I, so and so having been appointed Chairperson/Member of the Uttaranchal Electricity Regulatory Commission, do swear in the name of God and solemnly affirm that I shall bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I shall uphold the sovereignty and integrity of India, that I shall duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgement perform the duties of my office without fear or favour, affection or ill will and that I will uphold the Constitution and the laws of the land.

6. Pay :

The Chairperson shall receive a pay of rupees twenty six thousand per month and a Member shall receive a pay of rupees twenty five thousand per month:

Provided that if the Chairperson has been a Judge of High Court, he shall receive pay which shall not be less than the last pay drawn as a Judge of High Court:

Provided further that in case a person appointed as the Chairperson or a Member is in receipt of any pension, the pay of such person shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him before commutation.

7. Dearness Allowance and City Compensatory Allowance :

The Chairperson and a Member shall receive dearness allowance, city compensatory allowance and hill allowance at the rate admissible to a Group 'A' Officer of the Central Government drawing an equivalent pay:

Provided that in case the Chairperson is or has been a Judge of a High Court, he shall receive dearness allowance at the rate admissible to a Judge of High Court, as the case may be.

8. Residence :

(a) The Chairperson and a Member shall be entitled to get a rent free Government residence of type addmissible to an officer of Secretary of the State Government.

(b) Whenever the arrangement of residence as per clause (a) is not been made or he/she does not take benefit himself/herself then he/she shall be paid house rent allowance per month as admissible to the Secretary in the State Government.

(c) Whenever the Chairperson or any Member occupies the Government residence beyond the period permitted, then in that case he/she shall be liable to pay, as applicable, license fee or penal rent and he/she shall be liable to be evicted as per rules and orders applicable.

9. **Vehicle :**

The Chairperson and a Member shall be entitled to the facility of staff car, as per the orders of the State Government for that purpose, for the journeys on Government and private purposes.

10. **Travelling Allowances :**

(a) The Chairperson and a Member while on tour within India or on transfer (including the journey undertaken to join the Commission or on the expiry or term with the Commission to proceed to his home town) shall be entitled to the journey allowance, daily allowance and transportation of personal effects as per High Court Judges (Travelling Allowances) Rules, 1956 for who is or has been a Judge of High Court and for other at the same scales and at the same rates as are applicable to a Group 'A' Officer of the State Government drawing an equivalent pay.

(b) Foreign tours to be undertaken by the Chairperson or a Member, only for official purpose, shall require prior approval of the Governor and clearance from the Ministry of External Affairs from political angle and from the Ministry of Home Affairs for acceptance of foreign hospitality, if any, under the provisions of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 :

Provided that the daily allowance and provision for hotel accommodation during the period of tour abroad, shall be in accordance with such orders of the State Government as are applicable to a Group 'A' officer of the State Government, drawing an equivalent pay and as per the economy instructions or other instructions issued by the Ministry of Finance from time to time.

11. **Hospitality Allowance :**

Chairperson and a Member shall be entitled to get rupees two thousand and five hundred per month hospitality allowance.

12. **Leave :**

(1) The Chairperson and a Member shall be entitled to the following kinds of leaves :--

(a) Earned leave at the rate of fifteen days against service of every full six months;

(b) Half pay leave at the rate of twenty days for each full year of service on medical certificate or private purpose and the leave salary for such half salary leave shall be equal to half of the salary addmissible during earned leave;

(c) On the conscience of the Chairperson/Member the falf salary leave can be converted to full pay leave if it has been requested on medical grounds and supported by a medical certificate of empowered medical officer;

(d) Leave without salary and allowance for one hundred and eighty days during any one tenure.

(2) The Chairperson and a Member shall be entitled to get leave encashment equal against the balance earned leave in his/her account at the end of his/her tenure in the Commission with a condition that the amount of leaves for encashment under this sub-rule and any leave encashment for which he/she was entitled prior to appointment in the commission shall not be not more than three hundred days.

(3) Empowered authority for approving leaves to Members shall be the Chairperson and to that of Chairperson shall be the Governor.

13. **Leave Travel Concession :**

The Chairperson and a Member shall be entitled to leave travel concession at the same scale and at the same rate as applicable to Group 'A' Officers of the Central Government drawing an equivalent pay :

Provided that if the Chairperson has been a Judge of a High Court, he shall be entitled to leave travel concession at the same scale and at the same rate as applicable to a Judge of High Court.

14. Medical Treatment :

The Chairperson and a Member shall be entitled to medical reimbursement and facility as may be applicable under Uttar Pradesh Medical Attendent Rules, 1946 and order issued by the State Government from time to time to a Group 'A' officer of the State Government drawing an equivalent pay.

15. Telephone Facility :

The Chairperson and a Member shall be eligible for telephone facilities as admissible to a Group 'A' officer of the State Government drawing an equivalent pay.

16. Provident Fund :

The Chairperson and a Member be governed under the provisions of Contributory Provident Fund Rules, 1962 and shall not have alternative to contribute under the provisions of General Provident Fund Rules (Central Service), 1960. Additional Pension or gratuity shall not be admissible for the service in the Commission.

17. Other Conditions of Services :

Other conditions of Services of the Chairperson and a Member, with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be such as are admissible to a Group 'A' officer of the State Government drawing an equivalent pay.

18. Power to Relax the Rules :

Where the State Government is satisfied that the operation of any of these rules causes a undue hardship in any particular case, if may, by order relax the requirement of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

19. Savings :

The previous rules shall remain in force for the office bearer working on the post of Chairperson prior to coming in force of these rules.

By Order,

N. RAVI SHANKER,
Principal Secretary.

न्याय अनुभाग–1

अधिसूचना

नियुक्ति

18 मार्च, 2006 ई0

संख्या 4–नो–(ई)/XXXVI(I)/2006–नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या 53, सन् 1952) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके महामहिम राज्यपाल श्रीमती शशिकला शर्मा, अधिवक्ता को दिनांक 18–03–2006 से पांच वर्ष की अवधि के लिए जिला टिहरी गढ़वाल की तहसील कीर्तिनगर के लिए नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम 8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्रीमती शशिकला शर्मा का नाम उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्टि कर ली जाय।

आज्ञा से,

यू0 सी0 ध्यानी,
सचिव एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 4-No-(E)XXXVI(I)/2006**, dated March 18, 2006 for general information :

NOTIFICATION

Appointment

March 18, 2006

No. 4-No-(E)XXXVI(I)/2006--In exercise of the powers under section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Smt. Sashikala Sherma, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 18.03.2006 for Tehsil Kirtinagar of District Tehri Garhwal and in exercise of the powers under sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Smt. Sashikala Sherma be entered in the register of Notaries maintained under section 4 of the said Act.

By Order,

U. C. DHYANI,

Secretary & L.R.

संख्या 174/VIII/14–प्रशि/2006

प्रेषक,

एस0 राजू0,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तरांचल, हल्द्वानी।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

देहरादून : दिनांक 03 जून, 2006 ई0

विषय : राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बौराड़ी, जनपद टिहरी गढ़वाल को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 186/डीटीईयू/0152/न0स0स्था0/2005, दिनांक 12–01–2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बौराड़ी, जनपद टिहरी को स्वीकृत समस्त व्यवसाय, सृजित समस्त पदों (पदधारकों सहित) एवं साज–सज्जा सहित (सम्पूर्ण संस्थान) प्रतापनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल में स्थानान्तरित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उपरोक्त के क्रम में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

एस0 राजू,

सचिव।

संख्या 700/XV–1/1 (25)/2005

प्रेषक,

नवीन चन्द्र शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अपर निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तरांचल, गोपेश्वर, चमोली।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 18 फरवरी, 2006 ई0

विषय : पशुपालन निदेशालय में सांख्यिकीय इकाई की स्थापना हेतु सृजित पदों की निरन्तरता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 79/पशुपालन/2004, दिनांक 22 मार्च, 2005 एवं अपर निदेशक, पशुपालन के पत्र संख्या 1789/स्था0–एक/निरन्तरता/2005–06, दिनांक 21 जनवरी, 2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय पशुपालन विभाग के अन्तर्गत सांख्यिकीय सैल की स्थापना हेतु निम्नांकित 29 अस्थाई पदों के दिनांक 28 फरवरी, 2007 तक बशर्ते कि इससे पूर्व इन्हें समाप्त न कर दिया जाय, चलते रहने की स्वीकृति की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान रु0	पदों की संख्या	पद स्थापना का स्थान
1.	उप निदेशक, सांख्यिकी एवं नियाजन	10,000–325–15,200	01	निदेशालय हेतु
2.	संख्याविद	8,000–275–13,500	01	उक्त
3.	संख्या सहायक/निरीक्षक	5,500–175–9,000	04	उक्त
4.	संगणक/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	3,050–75–4,500	04	उक्त
5.	निरीक्षक	4,500–125–7,000	01	उक्त
6.	अन्वेषक–कम–संगणक	5,000–150–8,000	18	13 पद जनपदों हेतु 5 पद मुख्यालय हेतु
	योग–		29	

2. उक्त पद पशुपालन विभाग, उत्तरांचल के अन्तर्गत सांख्यिकीय संवर्ग के अस्थाई पदों के रूप में माने जायेंगे तथा आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पदों की निरन्तरता समय–समय पर शासन स्तर से जारी की जायेगी।

3. उक्त पद धारकों को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी प्राप्त होंगे।

4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय व्ययक में लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन आयोजनागत–113 प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकीय–01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0102–पशुपालन सांख्यिकी प्रकोष्ठ (50 प्रतिशत केन्द्र सहायता)–42 अन्य व्यय के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

नवीन चन्द्र शर्मा,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 24 हिन्दी गजट/283–भाग 1–2006 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ए0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 जून, 2006 ई0 (ज्येष्ठ 27, 1928 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल

विज्ञप्ति

07 मार्च, 2006 ई0

संख्या 21/XIV/71/प्रशा0 अनु0–अ/2003–श्रीमती नीना अग्रवाल, अपर सिविल जज (अवर खण्ड), हल्द्वानी, जिला नैनीताल को निम्न अवधियों का अवकाश स्वीकृत किया गया :–

1. दिनांक 29–09–2005 से 04–02–2006 तक 135 दिन का मातृत्व अवकाश।
2. दिनांक 05–02–2006 का 1 दिन का अर्जित अवकाश।
3. दिनांक 07–02–2006 से 24–02–2006 तक 18 दिन का अर्जित अवकाश।

न्यायालय की आज्ञा से,

रवीन्द्र मैठाणी,
अपर निबन्धक।

कृषि निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून

कार्यालय ज्ञाप

08 फरवरी, 2006 ई0

पत्रांक कृ0नि0/5860/क0अभि0/सं0पत्रा0/2005–06–कृषि विभाग, उत्तरांचल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ताओं को शासनादेश संख्या 1661/47 का0–4–44 ई0एम0/85, दिनांक 11–03–1991 के प्राविधानों के अनुपालन में उनकी 16/14 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर श्रेणी–2 के पद का वेतनमान रु0 8,000–275–13,500 अनुमन्य कर दिये जाने के फलस्वरूप एतद्द्वारा राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान की जाती है।

राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान किये जाने के फलस्वरूप इन कनिष्ठ अभियन्ताओं के वेतन में कोई वृद्धि नहीं होगी और न ही उनकी ज्येष्ठता प्रभावित होगी।

क्र0सं0	कनिष्ठ अभियन्ता का नाम	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर योगदान की तिथि	16/14 वर्ष की सेवा पर वेतनमान रु0 8,000–275–13,500 स्वीकृति का दिनांक
1.	श्री हरवंश सिंह	04–02–1980	01–04–2001
2.	श्री रमेश चन्द्र पाल	05–01–1983	01–04–2001
3.	श्री प्रेम प्रकाश टमटा	29–12–1989	01–04–2001

मदन लाल,
कृषि निदेशक,
उत्तरांचल।

कार्यालय, आयुक्त, कर, उत्तरांचल

(फार्म अनुभाग)

विज्ञप्ति

13 मार्च, 2006 ई0

पत्रांक 4481/आयु0क0उत्तरां0/वाणि0क0/फार्म–अनुभाग/दे0दून/2005–06–उत्तरांचल मूल्य वर्धित अधिनियम, 2005 की धारा 80 की उपधारा 9 तथा नियम 30 के उपनियम 13 में निर्धारित व्यवस्था तथा शासन के आदेश पत्र संख्या 102/सचिव वित्त/वोल्यूम–1/2005–06/वित्त विभाग, सचिवालय उत्तरांचल, देहरादून, दिनांक 27–12–2005 के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है, आयात के लिये घोषणा–पत्र (ट्रेडर्स) की पूर्व से चली आ रही प्रचलित सीरीज UT/C 2004 तथा प्रभावी दिनांक 16–11–2005 से प्रचलित सीरीज UM/D 2005 (क्रमांक 000001 से 030000) एवं दिनांक 25–01–06 से प्रचलित सीरीज UM/D 2005 (क्रमांक 030001 से 070000) के साथ–साथ सीरीज UM/D 2005 (क्रमांक 070001 से 170000 तक) के आयात घोषणा–पत्र इस विज्ञप्ति के निर्गत होने की तिथि से दिनांक 30–06–2006 तक प्रचलित रहेगी। इन सभी सीरीजों के फार्म दिनांक 30–06–06 की मध्य रात्रि तक सहायता केन्द्रों पर स्वीकार किये जाते रहेंगे।

UM/D 2005 (क्रमांक 070001 से 170000) सीरीज के फार्म ठीक उसी प्रकार की प्रिन्टिंग में हैं, जिस प्रकार सीरीज UM/D 2005 (क्रमांक 030001 से 070000) तक के फार्म हैं, अन्तर केवल सीरीज के क्रमांक का है।

13 मार्च, 2006 ई0

पत्रांक 4482/आयु0क0उत्तरां0/वाणि0क0/फार्म–अनुभाग/दे0दून/2005–06–उत्तरांचल मूल्य वर्धित अधिनियम, 2005 की धारा 80 की उपधारा 9 तथा नियम 30 के उपनियम 13 में निर्धारित व्यवस्था तथा शासन के आदेश पत्र संख्या 102/सचिव वित्त/वोल्यूम–1/2005–06/वित्त विभाग, सचिवालय उत्तरांचल, देहरादून, दिनांक 27–12–2005 के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है, आयात के लिये घोषणा–पत्र (निर्माता) की पूर्व से चली आ रही प्रचलित सीरीज UM/C 2004 एवं UM/D 2005 तथा प्रभावी दिनांक 16–11–2005 से प्रचलित सीरीज UM/E 2005 (क्रमांक 000001 से 070000 तक) एवं प्रभावी दिनांक 25–01–06 से प्रचलित सीरीज UM/E 2005 (070001 से 110000 तक) के साथ–साथ सीरीज UM/E 2005 (क्रमांक 0110001 से 210000 तक) के आयात घोषणा–पत्र इस विज्ञप्ति के निर्गत होने की तिथि से दिनांक 30–06–2006 तक प्रचलित रहेगी। इन सभी सीरीजों के फार्म दिनांक 30–06–06 की मध्य रात्रि तक सहायता केन्द्रों पर स्वीकार किये जाते रहेंगे।

UM/E 2005 (क्रमांक 110001 से 210000 तक) सीरीज के फार्म ठीक उसी प्रकार की प्रिन्टिंग में हैं, जिस प्रकार सीरीज UM/E 2005 (क्रमांक 070001 से 110000 तक के) फार्म हैं, अन्तर केवल सीरीज के क्रमांक का है।

बी0 पी0 पाण्डे,
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तरांचल, देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 24 हिन्दी गजट/283–भाग 1–क–2006 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की।